



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 10] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 16, 1977/आषाढ़ 25, 1899

No. 10] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 16, 1977/ASADHA 25, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, दिनांक 15 जुलाई, 1977

का० नि०आ० 12-ई.—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं० का०नि०आ० 33-अ, तारीख 24 जुलाई, 1976 द्वारा यह घोषित किया था कि लखनऊ छावनी के प्रशासन के लिए छावनी बोर्ड, लखनऊ के संविधान को परिवर्तित करना वांछनीय है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि लखनऊ छावनी के प्रशासन के लिए उक्त बोर्ड के कार्यकाल को बढ़ाना वांछनीय है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 14 की उपधारा (4) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त बोर्ड के कार्यकाल को 15 नवम्बर, 1977 तक, जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, बढ़ाती है।

[सं० का० 29/12/सी/एल एण्ड सी/76 2075-सी/डी (क्यू एण्ड सी)]

MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 15th July 1977

S.R.O. 12-E.—Whereas the Central Government, by the notification of the Government of India in the Ministry of Defence, No. S.R.O. 33-E, dated the 24th July, 1976, had declared that for the administration of the Lucknow Cantonment, it was desirable to vary the constitution of the Cantonment Board, Lucknow;

And Whereas the Central Government is satisfied that for the administration of the Cantonment Lucknow, it is desirable to extend the term of office of the said board,

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (4) of section 14 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby extends the term of office of the said Board up to and inclusive of the 15th November, 1977

[No F. 29/12/C/L & C/76/2075-C/D(Q&C)]

का० नि० प्रा० 13-ई.—केन्द्रीय सरकार, छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 14 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) और (ग) के साथ पठित उपधारा (3) अनुसरण में अधिसूचित करती है कि निम्नलिखित व्यक्ति केन्द्र के कमान अधिकारी द्वारा छावनी बोर्ड, लखनऊ के सदस्य, 24 जुलाई, 1977 से 15 नवम्बर, 1977 तक के लिए, जिसमें वह दिन भी सम्मिलित है, नामनिर्देशित किए जाते हैं अर्थात् —

1. कर्नल गुरदीप सिंह बिरक धारा 14 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन नामनिर्देशित ।
2. श्री गुरु थडानी सुपुत्र श्री जी० एच० थडानी धारा 14 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन नामनिर्देशित ।

[सं० फा० 29/12/सी/एल एण्ड सी/76/2075-सी/1 डी (क्यू एण्ड सी)]

बी० बी० सहाय, संयुक्त सचिव ।

S.R.O. 13-E.—In pursuance of sub-section (3), read with clauses (b) and (c) of sub-section (2), of section 14 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that the following persons have been nominated by the Officer Commanding the Station to be the members of the Cantonment Board, Lucknow with effect from 24th July, 1977 up to and inclusive of the 15th November, namely :—

1. Colonel Gurdip Singh Wirk nominated under clause (b) of sub-section (2) of section 14.
2. Shri Gulu Thadani son of Shri G.H. Thadani nominated under clause (c) of sub-section (2) of section 14.

[No. F. 29/12/C/L & C/76/2075-C/1/D (Q&C)]

B. B. SAHAY, Jt. Secy

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिनटो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977